



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष 1942 (श०)
(सं० पटना 9) पटना, शुक्रवार, 1 जनवरी 2021

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

28 दिसम्बर 2020

सं० एसीस-01/नि०-48/2015-158—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (डायनेमिक ए०सी०पी०) नियमावली, 2017” में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । —

- (1) यह नियमावली “बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (डायनेमिक ए०सी०पी०) (संशोधन) नियमावली, 2020” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (डायनेमिक ए०सी०पी०) नियमावली, 2017 के भाग-1 के नियम-1 के उप नियम-3 का संशोधन। उक्त नियमावली, 2017 के भाग-1 के नियम-1 का उप नियम-3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“दिनांक 01.01.06 के प्रभाव से यह वैचारिक (नोशनल) तौर पर लागू होगा। इसके आधार पर वेतन की गणना करते हुये वास्तविक लाभ इस संकल्प के निर्गत होने के माह अर्थात् दिसम्बर, 2017 से भुगतये होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

28 दिसम्बर 2020

सं० एसीस-01/नि०-48/2015-159/ अधिसूचना सं० 158. दिनांक 28 दिसम्बर 2020 का निम्नालिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 28th December 2020

No.-ESIS-01/NL-48/2015-158—In exercise of the powers conferred by the proviso under Article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for giving Dynamic A.C.P in *The Bihar Employees state Insurance Allopathic Medical officers Service Cadre* working under Employees State Insurance Scheme :-

PART-1

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) These rules may be called the Bihar Employees State Allopathic Insurance Medical officers (Dynamic A.C.P) (Amendment) Rules, 2020.
- (2) It shall extent to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.

2. Amendment of sub rule-3 of rule-1 of part-1 of Bihar Employees State Allopathic Insurance Medical officers (Dynamic A.C.P), 2017.—The sub rule-3 of rule-1 of part-1 of the said rules 2017 shall be substituted by following- "It shall be Applied in a notional manner with effect from 01.01.2006. The actual benefit of salary calculation shall be payable from the month of issue of this notification i.e. December 2017.

By order of the Governor of Bihar,
MIHIR KUMAR SINGH,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 9-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>